

सं. कार्य 115/2/234

मंडल कार्यालय,  
मुंबई सेन्ट्रल।  
दिनांक 1.6.2010

सेवा में,

कार्यकारी अभियन्ता- II, (एस आर ए),  
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण,  
पांचवी मंजिल, गृहनिर्माण भवन,  
बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.

महोदय,

विषय -Mumbai Division : CCG-VR SECTION : Proposed Rehabilitation building under SRA Scheme on plot bearing CTS No. 13 to 20, 22 to 31 to 413 of village Bandra (East), Golibar Road, Khar - Santacruz -Mumbai - 400 055 between Santacruz - Khar

संदर्भ- आपका पत्र संख्या SRA/ENG/1188/HE/MHL/LOI दिनांक 28.10.2009

\*\*\*\*\*

उपरोक्त संदर्भ में आपको अवगत किया जाता है कि साक्षम अधिकारी द्वारा No Objection Certificate for Mumbai Division CCG-VR SECTION : Proposed Rehabilitation building under SRA Scheme on plot bearing CTS No. 13 to 20, 22 to 31 to 413 of village Bandra (East), Golibar Road, Khar - Santacruz -Mumbai - 400 055 between Santacruz -Khar को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों पर दिया गया है।

1. प्रस्तावित निर्माण कार्य में, निर्माण कार्य की ऊँचाई तथा रेल भूमि सीमा से दूरी निम्नानुसार रखी जानी चाहिए।

Sr No.	Height up to top of from formation level.	Clearance required i.e. half of the bldg. ht.	Clearance provided from	
A	Bldg. No.9		Rly. land boundary	Rly. Track Boundary
	Section A -A		(in mts.)	(in mts)
1.	Ht. up; to top of 15 <sup>th</sup> floor = 47.85 mts.	47.85/2 = 23.925 mts.	28.49	43.21
2.	Ht. up to top of O.H. water tank = 51.10 mts.	51.10/2=25.55 mts.	35.79	50.51
B	Bldg.No.10			
	Section B -B			
1.	Ht. up to top of 15 <sup>th</sup> floor = 47.85 mts.	47.85/2=23.925 mts	28.18	41.59
2.	Ht. up to top of O.H. water Tank = 51.10 mts.	51.10/2=25.55 mts.	35.48	48.89

उत्तर. उत्तर. उत्तर



J		Bldg. No. 58			
		Section J - J			
	1.	Ht. up to top of 15 <sup>th</sup> floor = 47.85 mts.	$47.85/2=23.925$ mts.	17.9	33.55
	2.	Ht. up to top of O.H. water tank = 51.10 mts.	$51.10/2=25.55$ mts.	25.2	40.85
K		Bldg. No. 57			
		Section K - K			
	1	Ht. up to top of 15 <sup>th</sup> floor = 47.85 mts.	$47.85/2=23.925$ mts.	22.26	51.01
	2.	Ht. up to top of O.H. water tank = 51.10 mts.	$51.10/2=25.55$ mts.	29.56	58.31
L		Bldg. No. 59			
		Section L - L			
	1.	Ht. up to top of 15 <sup>th</sup> floor = 47.85 mts.	$47.85/2=23.925$ mts.	18.47	48.75
	2.	Ht. up to top of O.H. Water Tank = 51.10 mts.	$51.10/2=25.55$ mts.	25.77	56.05
M		Bldg. No. 60			
		Section M - M			
	1.	Ht. up to top of 15 <sup>th</sup> floor = 47.85 mts.	$47.85/2=23.925$ mts.	16	47.52
	2.	Ht. up to top of O.H. Water tank = 51.10 mts.	$51.10/2=25.55$ mts.	23.3	54.82
N		Bldg. No. 62			
		Section N - N			
	1.	Ht. up to top of 15 <sup>th</sup> floor = 47.85 mts.	$47.85/2=23.925$ mts.	15.93	55.47
	2.	Ht. up to O.H. water tank = 51.10 mts.	$51.10/2=25.55$ mts.	23.23	62.77
O		Bldg. No. 63			
		Section O - O			
	1.	Ht. up to top of 15 <sup>th</sup> floor = 47.85 mts.	$47.85/2=23.925$ mts.	22.7	74.08
	2.	Ht. up to top of O.H. water tank = 51.10 mts.	$51.10/2=25.55$ mts.	31	81.39

03.09.21A

11

2. उपरोक्त शर्त नं. 1 के अंतर्गत निर्धारित किए गए पैरा मीटर्स का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।
3. इस कार्यालय में प्रस्तुत किए गए ले आउट (Lay Out) प्लान तथा नक्शों के अनुसार कार्य किया जाना चाहिए। (WITHOUT FAIL).
4. नाली का प्रावधान इस प्रकार ध्यान में रख कर किया जाए कि मलयुक्त पानी रेलवे की हद में न आए बल्कि नगर पालिका के नाले में जाए। (Storm water drain and drainage should be connected to BMC Manhole in BMC Land).
5. प्रस्तावित निर्माण आर. सी. सी. (R.C.C.) में होना चाहिए ताकि भूकम्प एवं रेलवे यातायात के स्थिर रहे।
6. निर्माण एजन्सी द्वारा रेलवे की जमीन पर कोई नया / पुराना भवन निर्माण सामग्री न रखी जाए।
7. "अनापत्ती प्रमाणपत्र" मुख्य इंजीनियर, प्रधान कार्यालय, प.रे., चर्चगेट के पत्र सं. W 73/3/1/418 (W5) दिनांक 26.5.10 द्वारा अनुमोदित है।
8. विधिवत अनुमोदित साईट प्लान (नक्शा) नं. मंडल रेल प्रबंधन, मुंबई सेन्ट्रल (बी) 23281/8/9-एफ /एल सी ओ /एन ओ सी - मुंबई सेन्ट्रल 120 की प्रतिलिपि संलग्न है।
9. इस जगह की भविष्य में रेलवे को किसी भी समय पर जरूरत पड़ने पर आपको अपने खर्च पर उक्त भवन को तोड़ना पड़ेगा। जिसके लिये अपने करारनामा पर आपके हस्ताक्षर किए हैं।
10. उक्त प्लान की अनापत्ती प्रमाण पत्र रेलवे द्वारा दिया गया है, मगर उक्त जमीन का कन्फर्मेशन / वेरीफिकेशन पार्टी को बांधकाम का परवाना देने के पहले आपके कार्यालय द्वारा की जाए।
11. संबंधित महानगर पालिका के अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि भवन की R.C.C. गणना में भूकम्प प्रतिरोधी मानक लिये गये हैं।
12. संबंधित स्थानीय निकाय / ग्रामपंचायत आदि द्वारा पार्टी को अनापत्ती प्रमाणपत्र जारी करने से पहले भूमि के स्वामित्व के बारे में पुष्टि कर ली जाए तथा उनकी ओर से सत्यापित किया जाए। भविष्य में उत्पन्न संपत्ती स्वामित्व विवाद के लिये रेलवे को जिम्मेदार नहीं ठहराया जायेगा।
13. स्थानीय नागरीक प्राधिकारी / पार्टी द्वारा 60 दिनों के अवधि के अंदर रेलवे मंडलीय प्राधिकारी को अनापत्ती प्रमाण पत्र का संदर्भ देते हुए लिखित सूचना दी जाए कि निर्माण कार्य शुरू किया गया है।
14. भविष्य में रेलवे भूमि पर अतिक्रमण न होवे इसलिये RCC दीवार न्यूनतम 8 फीट ऊँची ट्रेक के समानांतर पार्टी द्वारा स्वतः के खर्च से पार्टी की भूमि पर बनाई जाए एवं रेलवे बाऊंड्री की तरफ खुलता हुआ कोई दरवाजा न बनाया जाये।
15. निर्माण के समय रेलवे भूमि की तरफ क्रेन कार्य (Crane Working) में पूर्ण सावधानी बरती जाये। निर्माण के समय अथवा बाद में उक्त भवन के कारण यदि रेलवे को किसी भी प्रकार की हानि होती है तो पूरा हर्जाना बिल्डर द्वारा दिया जायेगा।

02.05.20

16. संबंधित स्थानीय निक्रय / शोपडपट्टी पुनर्वसन विभाग आदि बिल्डिंग संख्या 52, 53, 57, 58, 59 & 60 (CTS No. 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 204, 205, 209, 210 & 258 ) के लिये अंतिम स्वीकृती पत्र जारी करने से पूर्व भूमि के स्वामित्व के कगजातों की उपलब्धता निश्चित करें तथा इस संबंध में होने वाले किसी विवाद के लिये रेलवे प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा।

Local Authority /SR Authority may please confirm for title clearance of the land for Bldg. No. 52, 53, 57, 58, 59 & 60 (CTS No. 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 204, 205, 209, 210 & 258 ) before issue of final permission /CC etc. for execution of work.

संलग्न - मंडल रेल प्रबंधक (बी) 23281/8/9 एफ  
/एल सी ओ /एन ओ सी - मुंबई सेन्ट्रल 120  
की अनुमोदित प्लान की प्रति ।

आपका भवदीय,

एन. एन. शर्मा  
01.06.10

कृते मंडल रेल प्रबंधक (कार्य),  
मुंबई सेन्ट्रल, मुंबई ।

प्रति- प्रमुख मुख्य इंजीनियर, चर्चगेट के पत्र सं. कार्य W 73/3/1/418 (W5) दिनांक 20.5.2010  
अंतर्गत जानकारी हेतु प्रेषित ।

प्रति- सहाय्यक मंडल इंजीनियर(उत्तर /सम्पदा)-लोअर परेल ) आपके आज्ञा दी जाती है  
प्रति-सहाय्यक मंडल इंजीनियर(दक्षिण /पटरी)-लोअर परेल ) कि नियम सं. 1 निर्धित  
प्रति- वरिष्ठ अनुभाग अभियन्ता(कार्य )- सान्ताक्रुज ) पैरामीटर का कड़ाई से  
प्रति- वरिष्ठ अनुभाग अभियन्ता(पटरी)- अंधेरी ) ध्यान में रखा जाय ।

प्रति- मेसर्स शिवालिक वेन्च्युअर्स प्राईव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नं. 746, स्टेनी फर्नाडिस वाडी, डी. एस. बाबरेकर मार्ग  
दादर (पश्चिम), प्रभादेवी, मुंबई, 400 028 को आवश्यक जानकारी हेतु प्रेषित ।

